279

समक्ष-न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक................../2017 R 246-I-17

आवेदक- **प्रहलाद वल्द स्व0 श्री छब्बा**
निवासी पटवारा तहसील कटनी, जिला कटनी म0प्र0

श्री.......... द्वारा आज दि. 18.1.17 को प्रस्तुत

विरूद्ध

क्लर्क ऑफ कोर्ट 18.1.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अनावेदक- म0प्र0शासन

पुनरीक्षण आवेदनपत्र-अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

आवेदक मान्नीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण/निगरानी आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय **श्रीमान कलेक्टर जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/अ-21/2014-15, में पारित आदेश दिनांक 02.01.2017** से व्यथित होकर निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है:-

// प्रकरण के तथ्य //

1. यह कि, आवेदक ग्राम पटवारा **तहसील कटनी** जिला कटनी का स्थाई निवासी है।
2. यह कि, आवेदक के द्वारा **ग्राम कैलवारा प0ह0नं0 33, तहसील कटनी, जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 1165 कुलरकवा 0.99 हे. भूमि** राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज है जो कि आवेदक के स्थानीय निवास से काफी दूर स्थित है तथा उसके उपयोग की भूमि नही है जिससे आवेदक को कृषि कार्य करने में असुविधा होती है। साथ ही आवेदक उक्त भूमि को बेचकर अपनी पैत्रिक **ग्राम पटवारा 33 राजस्व निरीक्षक मण्डल मुड़वारा-2 जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 10, 128, 130, 577 कुल रकवा 2.25 हे0** को कृषि प्रयोजन हेतु और अधिक उपजाउ बनाने तथा कृषि कार्य में उपयोग किये जाने वाले उपकरणों का क्रय करने हेतु अपनी ग्राम कैलवारा प0ह0नं0 33, तहसील कटनी, जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 1165 कुलरकवा **0.99 हे.** भूमि के विक्रय की अनुमति प्रदान करने बाबत् विधिवत आवेदनपत्र मान्नीय न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। **खसरा की छायाप्रति संलग्ल है जो संलग्नक पी/1 है।**
3. यह कि, आवेदित भूमि आवेदक के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम क्रय की गई भूमि है तथा उक्त भूमि को विक्रय करने के बाद आवेदक के पास अतिरिक्त भूमि के रुप **ग्राम पटवारा 33 राजस्व निरीक्षक मण्डल मुड़वारा-2 जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 10, 128, 130, 577** कुल रकवा **2.25 हे0** (पांच एकड़ साड़े बारह डिस्मिल) सिंचित दो फसली भूमि शेष बचती है, जो उसके परिवार के जीवन यापन एवं भरण पोषण के लिये पर्याप्त भूमि है। **विक्रय पत्र की छायाप्रति संलग्न है जो संलग्नक पी/2 है।**
4. यह कि, आवेदक द्वारा आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति प्राप्त करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय के समक्ष विधिवत् आवेदन पत्र दस्तावेज संलग्न कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व प्रकरण क्रमांक **क्रमांक 09/अ-21/2014-15,** के रूप में दर्ज कर अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, कटनी से जांच प्रतिवेदन हेतु भेजा गया तदुपरांत अनुविभागीय अधिकारी, बड़वारा द्वारा नायब तहसीलदार, मुड़वारा-2, को जांच प्रतिवेदन हेतु प्रकरण भेजा गया।

क्रमशः....2....

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/246/एक/2017 जिला-कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18.1.17	यह निगरानी आवेदक द्वारा न्यायालय कलेक्टर, जिला कटनी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 09/अ–21/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2017 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 1– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की गई की, ग्राम–**कैलवाराकलॉ** प0ह0नं0 33, रा0नि0मं0–मुड़वारा–2, तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर **1165** कुल रकवा **0.99** हे0 जो राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज है जो आवेदक के द्वारा रजिस्टर्ड विकयपत्र के माध्यम से कय की गई है तथा आवेदक के स्थाई निवास से दूर स्थित है को बेचकर आवेदक के पैत्रिक निवास के पास स्थित ग्राम **पटवारा**, की सिंचित भूमि कुलरकवा **2.25** हे0 भूमि पर उन्नत कृषि कार्य करेगा जिस हेतु ग्राम **कैलवाराकलॉ** स्थित भूमि खसरा नंबर **1165** कुल रकवा 0.99 हे0 भूमि को बेचने की अनुमति प्राप्त करने का आवेदन पत्र न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर जिला कटनी के द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र पर प्रकरण पंजीबध्द कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटनी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उक्त प्रकरण में भूमि विकय की अनुमति प्रदान नही की गई ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 2– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का समग्र	

अवलोकन किया गया आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्को में बताया कि आवेदक के द्वारा उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की गई है, शासन से पट्टे पर प्राप्त नहीं है, एवं प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय के उपरांत आवेदक के पास ग्राम पटवारा प0ह0नं0 33, रा0नि0मं0 मुड़वारा–2, जिला कटनी में खसरा नंबर **10, 128, 130, 577,** कुल रकवा **2.25 हे0 सिंचित** भूमियां शेष बचती है, आवेदित भूमि को विक्रय करने के उपरांत आवेदक भूमिहीन नहीं होगा तथा आवेदित भूमि को विक्रय करने से जो राशि प्राप्त होगी उससे वह उपरोक्त भूमियों को और अधिक कृषि उपयोगी बनावेगा जिसका उल्लेख आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदनपत्र में भी किया है, ऐसी स्थिति में उसे आवेदित भूमि विक्रय की अनुमति नहीं दी जाती है तो उपरोक्त भूमि से लाभ के स्थान पर उसे हानि होगी इसलिये आवेदक को आवेदित भूमि को विक्रय की अनुमति प्रदान की जाये, किन्तु कलेक्टर जिला कटनी द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर दर्शित बिन्दुओं एवं संलग्न अभिलेखों का परीक्षण किये बिना ही आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र पर विधिवत् इस्तहार का प्रकाशन हो जाने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति नही दी गई तथा आवेदनपत्र पर सद्भावी विचार नही किया गया, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं कार्यवाही निरस्त किया जावे। अन्त में आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रार्थना कर वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला कटनी का आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई। अनावेदक के अभिभाषक के द्वारा इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत् रखने की प्रार्थना की गई।

3– उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्कानुक्रम में देखना यह है कि क्या कलेक्टर जिला कटनी ने आदेश पत्रिका दिनांक 02.01.2017 में जो आदेश पारित किया है वह विधिवत् है अथवा नहीं क्योकि जब उक्त प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के यहां जांच हेतु भेजा गया था एवं आवेदित भूमि के संबंध में वस्तुस्थिति की जांच करने के उपरांत पुनः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि विक्रय की अनुशंसा सहित वापस भेजा

गया, तब ऐसी स्थिति में विक्रय की अनुमति आवेदक को प्रदान क्यों नही की गई क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वास्तव में त्रुटिपूर्ण है तथा निरस्त किये जाने योग्य है ।

4— आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार ग्राम कैलवारा प0ह0नं0 33, रा0नि0मं0 मुड़वारा–2, तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 1165 कुल रकवा 0.99 हे0 राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज है। जो आवेदक के स्थानीय निवास से दूर स्थित है अतः वह उक्त भूमि को बेचकर अपने पैत्रिक ग्राम **पटवारा** प0ह0नं0 33, रा0नि0मं0 मुड़वारा–2, जिला कटनी में खसरा नंबर **10, 128, 130, 577** कुल रकवा 2.25 हे0 सिंचित कृषि भूमियों को और अधित उपजाऊ बनाना चाहता है जिस हेतु आवेदक के द्वारा विक्रेता से समय–समय पर धनराशि भी प्राप्त की जा चुकी है, उक्त भूमियों पर आवेदक कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरण–पोषण एवं जीविकोपार्जन अच्छी तरह से करेगा उक्त भूमियां उसके भरण–पोषण के लिये पर्याप्त है ऐसी स्थिति में आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति पर सद्भाविक विचार किया जाना चाहिये था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया गया ।

प्रकरण में देखना यह है कि आवेदक आवेदित भूमि को विक्रय करने का पात्र है अथवा नही :–

1— अनुविभागीय अधिकारी जिला कटनी एवं तहसीलदार ने अधीनस्थ न्यायालय को भेजे गए अपने जॉच प्रतिवेदनों में उल्लेख किया है कि आवदित भूमि आवेदक ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की है शासन द्वारा पटटे पर प्रदान की गई भूमि है, तथा आवेदित भूमि को विक्रय करने के पश्चात आवेदक भूमिहीन नही होगा। आवेदक के पास आवेदित भूमि के विक्रय उपरांत उसके भरण–पोषण के लिये कुल **2.25 हे0 सिंचित भूमि शेष बचती है** जो उसके परिवार के भरण पोषण हेतु पर्याप्त भूमियां है।

2— उक्त पटवारी ने अपने जॉच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि आवेदित भूमि असिंचित भूमि है जो आवेदक के गृहग्राम से दूर स्थित

है तथा उसके लिये घाटे की कृषि भूमि है।

3— प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को, प्रकरण में संलग्न अभिलेखों, से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की गई भूमि है उसे उक्त भूमि शासन से पट्टे पर प्रदान नही की गई है। आवेदक आदिवासी जाति का है, जिसके कारण उसने आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति मांगी है, संहिता की धारा 165 (6) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी आदिवासी जाति का भूमिस्वामी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने अधिनस्थ से अपनी आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है। आवेदक ने विक्रय करने का अनुबंध शासन के निर्धारित गाईडलाईन के अनुसार किया है, यदि अनुमति प्रदान की जाती है तो उक्त भूमि के विक्रय से शासन के पक्ष में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क के रूप में राजस्व की प्राप्ति होगी, परिणामतः आवेदक को स्वःअर्जित एवं भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नही होती है किन्तु कलेक्टर कटनी ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला कटनी के द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 09/अ—21/2014—15 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को ग्राम—**कैलवाराकलॉ** प0ह0नं0 33, रा0नि0मं0—मुड़वारा—2, तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर **1165** कुल रकवा **0.99** हे0 भूमि को विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सदस्य